

**ग्राम पंचायत टिकरीगढ़ विकास खण्ड तीसरा तहसील चुराह जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि :- 01-04-2015 से 31-03-2018
भाग - एक**

1 {क} प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टिकरीगढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रमुख सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जीवन सिंह	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री घुघर राम	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री लाल सिंह	31-08-13 से 13-06-14
2.	श्री अरशद अहमद	14-06-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार :-

क्रम.संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी ₹लाखों में }
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.55
2	6	अनुदान राशियों का अवरोधन	36.17
3	8	क्रय निर्माण कार्य पर अधिक व्यय	0.05
4	11	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना क्रय	0.81
5	12	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	5.42

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ के अवधि 01/4 /2015 से 31/03/2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार खेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25-05-2018 से 29-05-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय टिक्करीगढ़ में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/16, 09/16 व 08/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/16, 03/17 व 02/18 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क-

ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या:133 दिनांक 19-05-17 द्वारा सचिव, पंचायत टिक्करीगढ़ से अनुरोध किया गया। उक्त राशि को सचिव ग्राम पंचायत द्वारा बैंक ड्राफ्ट सं 064260 दिनांक 06-06-18 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति-

ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{i} स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 तक स्व स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	48190	48723	96913	50225	46688
2016-17	46688	47738	94426	47336	47090
2017-18	47090	111884	158974	53207	105767

{ii} अनुदान :-ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण सलग परिशिष्ट -1में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015 -16	1257005	907075	2164080	1010839	1153241
2016-16	1153241	5288756	6441997	3514938	2927059
2016-17	2927059	4787784	7714843	4097899	3616944

31-3-18 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB Tissa	19210106048	1081151
2.	----do-----	19210109421	132246
3.	----do-----	19010112088	2476516
4.	----do----	19210110336	58838
	Cash in hand		492
	Total		₹3749243

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-18 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- **₹3749243**

(ख)दिनांक 31-3-18 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष :-**₹ 3722711**

अन्तर :- ₹26532

अन्तर का कारण :-

(i)दिनांक 29-04-15 को पास बुक में ₹19185 प्राप्त हुए लेकिन रोकड़ बही में केवल ₹1988 ही दर्ज किए गए अर्थात् रोकड़ बही में ₹17197 (19185—1988) कम दर्ज हुए।

(ii) चैक जारी किए परन्तु भुगतान हेतु 31-03-18 तक प्रस्तुत नहीं किए गए :-

चैक न०	दिनांक	व्यक्ति का नाम	राशि(₹)
038239	17-01-18	Ramjan	900
038240	17-01-18	Lalu	450
038244	17-01-18	Reshamu	675
038247	12-02-18	Shankardas	1870
038248	12-02-18	Tula ram	2380
049104	12-02-18	Meen dei	3060
		TOTAL	9335

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों का नियमानुसार मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । सचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ बही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया , जबकि हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.55 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-18 तक पंचायत राजस्व ₹55005 वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली अतिशीघ्र की जाए।

(क) गृहकर:-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	12600	12600	2570	10030
2016-17	10030	13000	23030	0	23030
2017-18	23030	16975	40005	0	40005

(ख) मोबाइल टावर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	7500	7500	2500	5000
2016-17	5000	7500	12500	2500	10000
2017-18	10000	7500	17500	2500	15000

6 अनुदान ₹36.17 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट -1} के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान राशि ₹3616944 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत

द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या: 131 दिनांक 29-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिका प्रस्तुत करना

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना सं 134 दिनांक 29-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं	कार्य का नाम	शीर्ष
1.	नि० निकास नाली भरनी पुखरेमान	सामान्य निधि
2.	नि० पेयजल योजना भरनी पुखरेमान	यथोपरि
3.	निर्माण श्मशानघाट भरनी	यथोपरि

8 निर्माण सामग्री ₹0.05 लाख का अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

निम्नलिखित निर्माण कार्य की माप पुस्तिका की जाँच में पाया कि इस निर्माण कार्य हेतु 27 सीमेंट बैग उपयोग किए गए जबकि इस कार्य के लिए 40 सीमेंट बैग का व्यय किया गया था। शेष बचे 13 बैग सीमेंट की खपत सम्बन्धी कोई भी अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा ₹4927 (13 x 37) की वसूली सम्बन्धित से की जाए।

C/O Panihar Nirman Salwin :-

माप पुस्तिका सं व पृष्ठ सं	खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा	माप पुस्तिका अनुसार उपयोग मात्रा	शेष बची निर्माण सामग्री	क्रय की दर	शेष सामग्री का मूल्य (₹)
-------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------------	---------------	-----------------------------

2704 पृष्ठ 31 व 32	40 बैग सीमेंट	27 बैग	13 बैग	379 प्रति बैग	4927
-----------------------	---------------	--------	--------	------------------	------

9 कार्य का नाम :- नि० नाली निकास ऐट बंदा :-

माप पुस्तिका :- 2704 पृष्ठ 34-35

व्यय राशि :- ₹100000

उक्त निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि इस कार्य के लिए सीमेंट की खपत से सम्बन्धित जिन मदों का निष्पादन किया गया था, उनके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार निम्नलिखित सीमेंट की खपत अपेक्षित थी।

मद का नाम	सीमेंट की अपेक्षित मात्रा
P/L 1.3.6 (3 cum)	3X 4.4 = 13 बैग
R.R MASNORY 1.6 (10.8cum)	10.80cum x 1.65 = 18 बैग
CEMENT PLASTER 15MM	120sqm x 0.086 = 10 बैग
	41 बैग

जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित 41 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 35 बैग सीमेंट का प्रयोग किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सीमेंट की सही मात्रा नहीं डाली गई जिससे उक्त निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संदेह पैदा होता है, जिसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

10 क्रय निर्माण सामग्री की सही मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट -3 के अनुसार पत्थर की 148 फरी की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई थी जिसके अभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर मामला है तथा उच्च अधिकारियों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है। अतः पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल फरी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामग्री की सही मात्रा सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना 10.81 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट 2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹81400 के स्टॉक/ स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 132 दिनांक 29-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय की गई ₹ 5.42 लाख की निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -3 पर ₹542295 के क्रय का भण्डारण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध में अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 132 दिनांक 29-05-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय की गई सामग्री की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्ट्रों /अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 134 दिनांक 29-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करीगढ़ को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए:-

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही
8	वर्गीकृत सार

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

- 16 लघु-आपति विवरणिका लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है तथा यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
- 17 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन (एल०ए०) एच (पंच) (xv)(vii) 31 / 2018 खण्ड—1—6000—6003 दिनांक—12.09.18 शिमला—09

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत टिकरीगढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र०।
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि०प्र०।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620881